<u>न्यायालय–विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–प्रथम ,</u>

<u>कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।</u>

विशेष परीक्षण संख्या–563/2025

उ०प्र० राज्य–बनाम–धर्मेन्द्र कुशवाहा व अन्य

<u>आरोप</u>

मैं, **परमेश्वर प्रसाद**, विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–प्रथम, कुशीनगर,स्थान–पडरौना आप **अभियुक्तगण धर्मेन्द्र कुशवाहा, हरेन्द्र गोंसाई, पप्पू राजभर, विश्वनाथ** व **कमलेश कुशवाहा** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1– 1– यह कि दिनांक व समय भिन्न–भिन्न, वहद स्थान भिन्न–भिन्न, अन्तर्गत थाना क्षेत्र थाना–तरयासुजान, जिला–कुशीनगर में आप लोग एक सक्रिय गिरोह के सरगना/सदस्य हैं। आप लोग स्वयं अथवा अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लोक व्यवस्था भंग करते हैं। आप लोग स्वयं अथवा अपने गिरोह के सदस्यों को आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ प्राप्त पहुँचाने के उद्देश्य से समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं। आपका उक्त कृत्य धारा–2(ख)2 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की परिधि में आता है। जो धारा–3 (1) उ०प्र० गिरोह बंद और समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दंडनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

एतद् द्वारा आपलोगों को आदेशित किया जाता है कि आपलोगों का उक्त मामले में विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 17.06.2025

(परमेश्वर प्रसाद)
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–प्रथम,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की याचना की।

दिनांकः 17.06.2025

(परमेश्वर प्रसाद)
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–प्रथम,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

<u>न्यायालय–विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–प्रथम ,</u>

<u>कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।</u>

विशेष परीक्षण संख्या–563/2025

उ०प्र० राज्य–बनाम–धर्मेन्द्र कुशवाहा व अन्य

<u>17.06.2025–</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर **अभियुक्तगण धर्मेन्द्र कुशवाहा, हरेन्द्र गोंसाई, पप्पू राजभर, विश्वनाथ** व **कमलेश कुशवाहा** मय अधिवक्ता उपस्थित। आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना और पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैगेंस्टर एक्ट) द्वारा यह तर्क दिया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–3(1) उ०प्र० गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रिया–कलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त वर्णित अपराध में आरोप नहीं बनता है, अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को उन्मोचित किया जाय।

प्रथम सूचना रिपोर्ट यह उल्लिखित है कि अभियुक्तगण गिरोह बनाकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए अनुचित, आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में गांजा तस्करी आदि जैसी घटनाओं के जरिये धनोपार्जन करना आदि अपराध करते हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 3 (1) उ०प्र० गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रिया–कलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 30.06.2025 को पेश हो। आरोप पत्र में नामित साक्षी संख्या–01 व 02 जरिये समन तलब हो।

विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–प्रथम,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by PARMESHWAR PRASAD
Date: 2025.06.18 19:36:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court